फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हरिसिंह — विपक्षी : राजस्थान राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 32/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प महुडा में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम हीरसिंह एवं प्रार्थीयां का नाम बसन्ती बाई गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पास बुक की नकल, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्राथीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में हीरसिंह एवं बसन्ती बाई दर्ज हैं, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम हरिसिंह पिता जालमसिंह एवं सायरकुंवर बेवा जालमसिंह अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा हीरसिंह उर्फ हरिसिंह एवं बसन्तीबाई उर्फ सायरकुंवर दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा डिगंरकिया पटवार हल्का महुडा की आराजी नम्बर 164, 165, [illegible] किता 3 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 168, 187, 190 किता 3 रकबा [illegible] बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 901, 903, 905 किता 3 रकबा [illegible] बीघा 15 बिस्वा [illegible] में खातेदार हीरसिंह एवं बसन्तीबाई, बसन्तबाई के बजाय हीरसिंह उर्फ हरिसिंह पिता जालमसिंह एवं बसन्तीबाई, बसन्तबाई उर्फ सायरकुंवर बेवा जालमसिंह संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।